न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, फागी, जिला–जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : कीर्ति सिंहमार, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1. जमानत आवेदन संख्या : 74 / 2026
सी.आई.एस. सं. : 74 / 2026

1. शंकर पुत्र नवरतन, निवासी ग्राम जीरोता, पुलिस–थाना बोराडा, जिला अजमेर।

——प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, फागी
2. हनुमान प्रसाद पाराशर पुत्र गोपीराम, निवासी चित्तौडा, पुलिस–थाना रेनवाल मांझी, जिला जयपुर।

———अप्रार्थीगण

2. जमानत आवेदन संख्या : 75 / 2026
सी.आई.एस. सं. : 75 / 2026

1. बनवारी पुत्र नवरतन,निवासी ग्राम जीरोता, पुलिस–थाना बोराडा, जिला अजमेर।

——प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, फागी
2. हनुमान प्रसाद पाराशर पुत्र गोपीराम, निवासी चित्तौडा, पुलिस–थाना रेनवाल मांझी, जिला जयपुर।

———अप्रार्थीगण

3. जमानत आवेदन संख्या : 76 / 2026
सी.आई.एस. सं. : 76 / 2026

1. दिनेश उर्फ धौल्या पुत्र राजूलाल, निवासी अजमेरा की ढाणी, घाटी डूंगरीकला, पुलिस–थाना मालपुरा, जिला जयपुर।

——प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, फागी
2. हनुमान प्रसाद पाराशर पुत्र गोपीराम, निवासी चित्तौडा, पुलिस–थाना रेनवाल मांझी, जिला जयपुर।

———अप्रार्थीगण

जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–94/2026, पुलिस–थाना रेनवाल मांझी, अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए), 303(2), 112(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रार्थी/अभियुक्त शंकरलाल व बनवारी पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 11.07.2026 से तथा अभियुक्त दिनेश उर्फ धौल्या दिनांक 20.07.2026 से लगातार

उपस्थिति :–

1. श्री संजीव कुमार पारीक, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बनवारी व शंकरलाल की ओर से
2. श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश उर्फ धौल्या की ओर से।
2. श्री शिवराज चौधरी,विद्वान अपर लोक अभियोजक राजस्थान राज्य की ओर से।
3. परिवादी हनुमान अनुपस्थित।

:: आदेश :: **दिनांकः 05.08.2026**

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **शंकरलाल, बनवारी व दिनेश उर्फ धौल्या** की ओर से उनके अधिवक्तागण द्वारा अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 में इस न्यायालय के समक्ष पृथक–पृथक प्रस्तुत किए गए हैं, जो एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबधित होने से **तीनों** जमानत प्रार्थना–पत्रों का एक ही आदेश से निस्तारण किया जा रहा है।

2. जमानत प्रार्थना–पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। जिस पर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण को दिलवाई गई। परिवादी हनुमान बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.07.2026 को प्रार्थी हनुमान प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री गोपीराम ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट टाईपशुदा इस आशय की पेश की कि वह कई सालों से लडकेश्वर बालाजी महाराज के मन्दिर प्रतापपुरा का पुजारी है तथा कई सालों से मन्दिर की सुबह शाम को पूजा–पाठ करता है। दिनांक 02.07.2026 को सुबह 6 बजे मन्दिर में पूजा–पाठ करने गया और देखा तो मन्दिर से एक चांदी का छोटा छत्र व एमरोन की बेट्री गायब थी, जिनको कोई चोरी कर ले गया। मन्दिर में हुई चोरी से पहले बंशीलाल जाट व भोलूराम संरपच एवं रामजीलाल जाट के कुओं से केबलों की चोरी हुई थी। फिर उन सब ने मिलकर चोरों को काफी तलाश किया तो पाया कि उनके गॉव के धमेन्द्र जाट के सीर–साझे मे खेतीबाडी करने वाले शिवराज बावरिया के साथी आशाराम बावरिया, शंकर बावरिया, शंकर बावरिया व इनके अन्य साथी उनके मन्दिर व कुओं से केबलों की चोरी कर ले गये........आदि।

4. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस–थाना रेनवाल मांझी द्वारा मुकदमा संख्या 94/2026, अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए), 303(2), 112(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शंकरलाल व बनवारी को दिनांक 11.07.2026 व दिनेश उर्फ धौल्या को दिनांक **20.07.2026** को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किये जाने के पश्चात् प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिन्हें विद्वान **न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी** द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण **शंकरलाल व बनवारी के जमानत प्रार्थना–पत्र** आदेश दिनांक **27.07.2026** द्वारा व प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश उर्फ धौल्या** का जमानत प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक **31.07.2026** से अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिस पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

5. **आवेदन पत्रों पर बहस सुनी गई।**

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने जमानत आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को कतई झूठा फंसाया गया है। उक्त प्रकरण में अनुसंधान में पूर्ण हो चुका है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्थायी निवासी है, जिनके कहीं भागकर जाने तथा ना ही गवाहों को बरगलाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मजदूर पेशा व्यक्ति है, जिनके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से परिवार के भूखे मरने की नौबत आजायेगी। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण अपने संतोषप्रद जमानत मुचलके पेश करने को तत्पर है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया गया।

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन–पत्रों के लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए कथन किए हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में भी चोरी के कई प्रकरण दर्ज है। अभियुक्तगण संगठित गिरोह बनाकर अपराध कारित करने में अभ्यस्त है। अतः प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने इस न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से पूर्व में कोई जमानत आवेदन–पत्र खारिज नहीं किया जाना व लम्बित नहीं होना जमानत आवेदन–पत्र में अंकित किया है। केस डायरी में संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का इस प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार हैः–

अभियुक्त शंकरलाल पुत्र नवरतन का आपराधिक रिकॉर्ड :–

क्रम	नाम थाना	मुकदमा मय दिनांक मय धारा	चार्जशीट/एफआर/पैं

संख्या			डंग
1.	बरोनी, जिला टोंक	113/2022, 1.4.2022, धारा 379/34 भादसं.	122/22, 28.5.2022
2.	लाम्बाहरिसिंह, जिला टोंक	220/2022, 09.11.2022, धारा 143, 147, 149, 323, 324, 341, 342, 354, 354क, 384, 500 भादसं0	161/2022, 21.12. 2022

अभियुक्त बनवारी पुत्र नवरतन का आपराधिक रिकॉर्डः–

क्रम संख्या	नाम थाना	मुकदमा मय दिनांक मय धारा	चार्जशीट/एफआर/पैडिंग
1.	बरोनी, जिला टोंक	113/2022, 1.04.2022, धारा 379/34 भादसं.	122/2022, 28.5.2022

अभियुक्त दिनेश उर्फ धौल्या पुत्र राजूलाल का आपराधिक रिकॉर्ड :–

क्रम संख्या	नाम थाना	मुकदमा मय दिनांक मय धारा	चार्जशीट/एफआर/पैडिंग
1.	फागी	180/2021, 24.4.2021, 379 भादसं.	91/2021, 09.06. 2021
2.	फागी	194/2021, 4.5.2021, 379 भादसं0	113/2021, 08.07. 2021
3.	मालपुरा, जिला टोंक	180/2023, 30.05.2023, 457, 380 भादसं0	129/2024, 16.7. 2024

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध समूह का सदस्य होते हुए संयुक्त रूप से मिलकर सुर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय से पूर्व लडकेश्वर बालाजी महाराज मंदिर प्रतापपुरा में चोरी करने के आशय से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मंदिर से एक चांदी का छोटा छत्र व एमरोन की बेट्री बिना परिवादी की सहमति से बेइमानीपूर्वक आशय से चुराने एवं अन्य चार पीड़ितों के कुओं पर से कॉपर केबल बिना उनकी सहमति के बेइमानी पूर्वक आशय से चुराने के धारा **331(4), 305(ए), 303(2), 112(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023** के अपराध का आरोप प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में **अधिकतम 07** वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना दोनों **से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।**

10. पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रमशः चोरी से सम्बन्धित अन्य प्रकरण का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिससे अभियुक्तगण का

आदतन उक्त प्रकृति के अपराध में संलिप्त होना भी दर्शित होता है। यदि अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके द्वारा इस प्रकृति के अपराध पुनः किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

11. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के आदतन चोरी के प्रकरणों में संलिप्त होने के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना इस न्यायालय के मत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

12. परिणामतः **प्रार्थी/अभियुक्त शंकर पुत्र नवरतन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **74/2026, सीआईएस संख्या 74/2026,** प्रार्थी/अभियुक्त **बनवारी पुत्र नवरतन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या **75/2026, सीआईएस संख्या 75/2026 तथा प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश उर्फ धौल्या पुत्र राजूलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या **76/2026, सीआईएस संख्या 76/2026** अन्तर्गत **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

13. उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान की जावे।**

14. आदेश की प्रति **तीनों** जमानत आवेदन पत्रों में पृथक–पृथक मूल अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरयुक्त संलग्न की जावें।

(कीर्ति सिंहमार)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
फागी, जिला जयपुर

15. आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक **05.08.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कीर्ति सिंहमार)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
फागी, जिला जयपुर